ACE EDUTREND LTD.

EDUTREND LTD.
EDUCATE.MOTIVATE.DEVELOP.

Date: July 29th, 2026

To,

BSE Limited,
The Department of Corporate Services- Listing
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Code: 530093 **ISIN: INE715F01014**

Sub: Unaudited Financial Results- News Paper Publication

Dear Sir/Ma'am

In continuation to our letter dated July 20th, 2026, regarding approval of un-audited Financial Results for quarter ended June 30th, 2026; please find enclosed the newspaper advertisement published, in compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 in The Echo of India (English) and Info India (Hindi) on 29-07-2026.

This is for your information and records.
Thanking You,

Yours Faithfully
For and on behalf of
Ace Edutrend Limited

Rohan Mohan Agarwal
Digitally signed by Rohan Mohan Agarwal
Date: 2026.07.29 12:11:42 +05'30'

Rohan Mohan Agarwal
Managing Director
DIN: 08592184

ACE EDUTREND LIMITED

Regd. Office: 812, Aggarwal Cyber Plaza-1, Netaji Subhash Place, New Delhi-110034
Email Id: csaceindia@gmail.com, Website: www.aceedutrend.co.in
CIN: L29299DL1993PLC201811, Ph: 011-25702148

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026
(Amount in Million Except EPS)

PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended
	30-06-2026	31-03-2026	30-06-2025	31-03-2026
	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited
Total Income from operations	0.30	0.00	0.00	0.00
Net Profit/ (Loss) Before Exceptional and Extraordinary Items and Tax	0.09	(0.30)	(0.45)	(1.02)
Net Profit/ (Loss) after taxes, minority interest and share of profit/(loss) of associates	0.09	(0.30)	(0.45)	(1.60)
Total Comprehensive Income for the period	0.09	(0.30)	(0.45)	(1.60)
Paid-up equity share (face value Rs. 10/- each)	91.61	91.61	91.61	91.61
Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-	-
Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised) A) Basic B) Diluted	0.01	(0.03)	(0.05)	(0.17)

Notes:
1. The above Un-Audited Financial Results were, subjected to limited review report by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 27th, 2026. The limited review report of the Statutory Auditors is being filled with the Stock exchange.
2. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter ended July 27th 2026, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Financial Results for the quarter ended July 27th, 2026 along with the limited review report of the Statutory Auditors is available on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.aceedutrend.co.in

For Ace Edutrend Limited
Sd/-
Rohan Mohan Agarwal
(Managing Director)
DIN: 08592184

Place: New Delhi
Date: 27.07.2026

TENDER NOTICE

PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF ACCUSED PERSON

See Section 82 Cr.P.C.

Whereas complaint has been made before me that accused **Nausad Samasaya Shaikh @ Raju, S/o:** Samsumy Miya Shaikh, **R/o:** H.No. G-50, Bangali Basti, P.S. G.R. Road, Garden Road, Kolkata, West Bengal has committed (or is suspected to have committed) the offence in case **FIR No. 001756/2023, U/s 379/411/120B/34 IPC, P.S.: Safdarjung Enclave, Delhi** and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said accused **Nausad Samasaya Shaikh @ Raju** cannot be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the said accused **Nausad Samasaya Shaikh @ Raju** has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant).

Proclamation is hereby made that the said **Nausad Samasaya Shaikh @ Raju** accused of offence in case **FIR No. 001756/2023, U/s 379/411/120B/34 IPC, P.S.: Safdarjung Enclave, Delhi** and is required to appear before this Court to answer the said complaint on or before **03.09.2026**.

By Order
Ms. Devanshi Janmeja
Judicial Magistrate First Class-03 (South)
Room No. 212, Saket Court, New Delhi

DP/9520/SW/2026
(Court Matter)

HDFC BANK — We understand your world

HDFC Bank Ltd. Regd Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai – 400 013;
Branch Office: GILLANDERS HOUSE, Block-A, 1st Floor, 8, N.S.Road, Kolkata – 700 001

NOTICE

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE CHAPTER III OF THE SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF THE SECURITY INTEREST ACT, 2002

We the HDFC Bank Limited, Kolkata had issued Demand Notice U/S 13(2) of chapter III of the Securitization & Reconstruction of Financial assets & enforcement of Security Interest Act, 2002 through our Kolkata branches/me the Authorized Officer. The contents of the same are the defaults committed by you in the payment of Installments of principal, Interest etc. The outstanding is as mentioned below:

Sl No	Date of Notice sent	Name of the Borrower / Co Borrower & Address	Loan A/c no	Total Outstanding (in Rs)	Mortgage property address
1	24-06-2026	**1. ELAHI BHARASA HUMAN HAIR (BORROWER)** Through Proprietor Sk Abdulla, R/o Village – Bhimchak, Para – Muslim Para, Bhagwanpur, Lalpur, Contai Ho, West Bengal – 721601, Phone: 9732938966 **2. SK ABDULLA (CO-APPLICANT)** S/o Abdul Majed, R/o Bhimchak (sampurna), Mouja Bhimchak, JL No. 137, Bhmchak, Bhagwanpur, Purbo Medinipur, Medinipur, Contai Ho, West Bengal, Phone: 9732938966 **3. SAHARUN BIBI (GUARANTOR & MORTGAGOR),** R/o Bhimchak (Sampurna), Mouja Bhimchak, JL No. 137, Bhimchak, Bhagwanpur, Purbo Medinipur, Contai Ho, West Bengal	5020006 9268481	Rs.35,20,794.62	**MORTGAGED ASSET:** ALL THOSE PIECE AND PARCEL OF ONE residential (bastu) property situated on Plot No. 200, RS Khatian No. 70, LR Khatian No. 495, Mouza - Bhimchak, JL No. 137, Village – Betuliachakpara, P.O. Lalpur, P.S. - Bhagwanpur, under Benudia Gram Panchayat, Near Baitul Mamood Masjid, Dist –Purba Medinipur, West Bengal – 721601, owned by Saharun Bibi. **The property is butted and bounded as follows: On the North:** Dag No. 203 & 354; **On the South:** Plot No. 200; **On the East:** plot No. 200; **On the West:** Dag no. 204.
2	24-06-2026	**1. SK JANEALAM (BORROWER)** Through Proprietor Sekh Janealam, S/o Sahalam Sekh, R/o Betuliachak, Lalpur, Muslim Para, Bhagwanpur, Tamuk Ho, West Bengal 721601, Contact: 9609038760 **2. SEKH SHAHALAM (GUARANTOR & MORTGAGOR)** S/o Rahamat Sek, R/o Betuliachak, Lalpur, Bhagwanpur, East Midnapore, Tamluk, West Bengal 721601	5020006 9295311	Rs.52,39,061.36	**MORTGAGED ASSET:** ALL THOSE PIECE AND PARCEL OF ONE residential (bastu) property situated on Plot No. 775, Khatian No. 1939, JL No. 138, P.O. Lalpur, Thana (P.S.) - Bhagwanpur, under Benudia Gram Panchayat, Betuliachak, Mouza – Betuliachak, Bhagwanpur, District- Purba Midnapore, West Bengal 721601, owned by Sekh Shahalam. **The property is butted and bounded as: On the North:** By agricultural land; **On the East:** By 8'-0'' wide Road and Pond; **On the South:** By Pond and Land of Sk Anumul; **On the West:** By owners' land.

Further with reasons, we believe that you are evading the service of Demand Notice. Hence this Publication of Demand notice, which is also, required u/s 13(2) of said Act. You are hereby called upon to pay HDFC Bank Limited within a period of 60 days date of publication of this Demand Notice the aforesaid amount along with further interest, cost, incidental expenses, charges failing which HDFC Bank Limited will take necessary action under all or any of the provision of Sec 13(4) of the said Act against or any one or more of the secured assets including taking possession of this assets of the borrower and guarantors. Further you are prohibited u/s 13(13) of the said Act from transferring either by way of sale/lease or in any way the aforesaid secured assets. Please note that no further demand notice will be issued.

Date: 29/07/2026
Place: Purbo Medinipur

Authorised Officer,
For HDFC Bank Ltd.

P. K. LEASING & FINANCE LTD

CIN: L65910WB1992PLC055895
P-36, India Exchange Place, Kolkata-700001
Ph: 033-4004 8969, Email: anilpklf@yahoo.co.in
Website: www.pkleasing.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at the registered office on **Monday 10th August 2026 at 2.00 P.M** in registered office of the company, inter alia, to consider and approve the standalone Unaudited financial statements of the company for the Quarter ended 30th June 2026.

For, **P.K.Leasing & Finance Ltd**
Sd/-
Anil Kumar Agarwal
Managing Director,
DIN: 00315722

Date :28.07.2026
Place: Kolkata

Applications are invited from bonafide contractors/agencies.
e-Tender ID:
2026_ZPHD_1034831_1
2026_ZPHD_1034865_1
2026_ZPHD_1034865_2
For details please visit www.wbtenders.gov.in or Gram Panchayat Office during office time

Sd/-
Dilip Purkait
Prodhan
Hotar Majada Gram Panchayat
Magrahat-II, Block 24 PGS. (S)

CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS

Corrigendum

No: - 91260050, Dated: - 21/07/2026. Tender No: - 91260050 for procurement of "3-Phase Asynchronous Traction Motor (with Shaft Mounted Zr-Cu Stamping type Resistance Ring Design of Rotor, Scheme-I) type 6FRA 6068" scheduled to be **opened on 21/08/2026.** Details of corrigendum are as follows: **SL. No.:[1]. Details: Tender Quantity.From:**2490 Nos. **To be read as:2490 Nos. (CRJ) + 746 Nos. (DKAE) = 3236 Nos.**

PR1/433 DY.CMM/P/CLW/CRJ

Like us on : www.facebook.com/clwrailways

QUOTATION

works An E-Tender has been published vide **N.I e Q. No. 34/26-27** for some under **VB-G-RAM G**. For detail information, bonafied contractors are requested to see the website **'wbtenders.gov.in' up to 09:00 Hrs**. on **05/08/2026.**

Sd/- Block Development Officer, Joynagar-I Development Block, Baharu, South 24 Parganas

EASTERN RAILWAY

Following e-tender is invited online by the Divisional Railway Manager, Eastern Railway, Howrah, DRM Building near Railway station, Howrah-711101 from tenderers having experience of similar nature of work and required financial capabilities including those registered with Irrigation/CPWD/SEB/MES or any public sector undertaking for the following work : **Sr.DEN/3/HWH. E-Tender No. : 182_2026-27, dtd. 27.07.2026. Description of work:** Completion of balance work portion of Limited Height Subway in lieu of LC No. 7/C/E at Km 23/10-11 between stations KNHR-DLM in AMP-KWAE section and repairing of LHS by provision of cross drain, hump, de-silting of drain & reservoir, grouting, construction of pump house & other ancillary works of LHS nos. 6/2, 7/3, 7/4, 8/2, 13, 15A, 17/1, 17A/4 etc. in the jurisdiction of SSE/W/NDAE under AEN/KWAE & NDAE. **Approx. Cost:** Rs. 3,83,34,897.92. **Earnest Money:** Rs. 7,66,700/-. **Completion period :** 8 months from the date of issue of acceptance letter. **Closing date & time of tender:** 14.08.2026 at 14.00 hrs. In case the date of closing mentioned in the Notice Inviting Tender is delared a holiday/bandh/strike on any account, the date of closing tender online will not be changed as the application in the website of IREPS does not permit submission of any offer after closing date and time of the tender. However, opening of tenders online will be done next working day. The details of tender are available at website **www.ireps.gov.in** Tenderers are requested to submit their offer online on the above website. Payment of earnest money deposit (EMD) & Tender document cost, in respect of E-tendering, should be accepted through net banking or payment gateway only. Note : Fixed Deposit Receipt (FDR) will not be accepted as EMD for tenders invited on IREPS (e-tender portal). No manual offer will be accepted. (HWH-241/2026-27)

Tender Notices are also available at Website
www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

Follow us at : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

इंडियन बैंक Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD

SAM LARGE BRANCH KOLKATA
1st Floor, 14, India Exchange Place
Kolkata - 700 001, West Bengal

WILFUL DEFAULTER NOTICE

Ref. : IB/SAML/KOL/RA/2026-27/292 **Date : 15.07.2026**

To,
1. **M/s. Brilliant Builder & Developer, Proprietor : Mr. Siddhartha Banerjee**, Jamuna Apartment, P.O. & P.S. - Bolpur, Dist - Birbhum, Pin - 731 204, W.B.
2. **Mr. Siddhartha Banerjee (Proprietor / Guarantor)**, S/o. Chandra Sekhar Banerjee, 86/1, NatunPukur, P.O. & P.S. - Bolpur, Dist - Birbhum, Pin - 731204, W.B.
3. **Mrs. Sanchita Mukherjee (Banerjee) (Guarantor)**, W/o. Mr. Siddhartha Banerjee, 86/1, NatunPukur, P.O. & P.S. - Bolpur, Dist - Birbhum, Pin - 731204, W.B.
4. **Mrs. Juthika Chatterjee (Guarantor)**, W/o. Krishna Kali Chatterjee, Matriniketan, Mission Compound, P.O. & P.S. - Bolpur, Dist - Birbhum, Pin - 731 204, W.B.
5. **Mr. Chanchal Ganguly (Guarantor)**, S/o. Narayan Chandra Ganguli, Chhayanir, School Bagan, P.O. & P.S. - Bolpur, Dist - Birbhum, Pin - 731 204, W.B.
6. **Mrs. Rina Bhaduri (Guarantor)**, W/o. Arunansu Sekhar Bhaduri, School Bagan, P.O. & P.S. - Bolpur, Dist - Birbhum, Pin - 731 204, W.B.
7. **Mrs. Shukla Hom Chowdhury (Guarantor)**, W/o. TuhinHom Chowdhury, School Bagan, P.O. & P.S. - Bolpur, Dist - Birbhum, Pin - 731 204, W.B.
8. **Mr. Rajib Ganguly (Guarantor)**, 86/1, Natun Pukur, P.O. & P.S. - Bolpur, Dist-Birbhum, Pin - 731 204, W.B.

Letter to Borrower / Guarantor Communicating the Decision / Approval of Wilful Defaulter Identification Committee Classifying as Wilful Defaulter

Madam / Dear Sir,

We hereby inform you that our Bank has classified the Borrower Firm, **M/s. Brilliant Builder and Developer, its Proprietor / Guarantor, Mr. Siddhartha Banerjee and Guarantors Mrs. Sanchita Mukherjee, Mrs. Juthika Chatterjee, Mr. Chanchal Ganguly, Mrs. Rina Bhaduri, Mrs. Shukla Hom Chowdhury & Mr. Rajib Ganguly**, as wilful defaulters, as per RBI Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters & Large Defaulters dated **30.07.2024** (Now RBI Master Direction 166 dated 28.11.2025). The proceeding of Wilful Defaulter Classification is as under:

Background : The Wilful Defaulter Identification Committee (WDIC) in its meeting held on 30.09.2022 had examined and considered the following information and records placed before them:

Grounds of Wilful Default :

Relevant Clause of Para 3 (1)(t) of the Reserve Bank of India (Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters) Directions, 2024	Evidence of wilful default disclosing the acts of omission and/or commission by the Borrower / Promoter(s) / Director(s) / Guarantor(s) for the Classification as Wilful Defaulter
Capacity to pay but unwilling to pay :	The net worth of the Borrower & Guarantors, as on **15.01.2018**, is as under :

Name	Rs. in crore
Mr. Siddhartha Banerjee (Proprietor / Guarantor)	1.02
Mrs. Sanchita Mukherjee (Banerjee) (Guarantor)	0.27
Mrs. Juthika Chatterjee (Guarantor)	0.67
Mr. Chanchal Ganguly (Guarantor)	0.60
Mrs. Rina Bhaduri (Guarantor)	0.31
Mrs. Shukla Hom Chowdhury (Guarantor)	0.47
Mr. Rajib Ganguly (Guarantor)	0.40
Total	3.74

From the net worth statement, it is obvious that the borrower & guarantors are having sufficient capacity to repay the loan, but they have not honoured the repayment obligation to the bank.

Siphoning of Funds :

Cash Credit Account :
- As per stock statement submitted by the borrower for Month of May 2021, the value of stock was Rs. 0.33 Crore
- During unit visit by branch official on 23.08.2022, the unit was found closed.
- The borrower was serving only interest in the CC account and mostly no business transactions were routed through the CC account.
- Thus, it is inferred that the borrower has disposed off the stock and siphoned off the funds without repaying the bank dues.

Term Loan II & III Accounts :
- The Bank has sanctioned Term Loan – II & III of Rs.1.50 crore (Rs.0.75 crore + Rs.0.75 crore) for construction of two G+4 residential building along with car parking space in the style of "Krishna Apartment" & "Charu Apartment".
- During visit by branch official on 23.08.2022, it was observed that all flats of "Krishna Apartment" & "Charu Apartment" have been sold as gathered on enquiry from local residents and sale proceeds have not been deposited in the loan account.

Thus, it is inferred that the borrower has disposed off the flats constructed and siphoned off the funds without repaying the bank dues.

The WDIC observed that irregularities/defaults in the conduct/operation of account (s) & non-compliance of terms & conditions of sanction fall within one or more of the condition/s set out in para 3 (1)(t) of the RBI Directions and accordingly approved to issue Show Cause Notice (SCN) to the borrower firm, M/s Brilliant Builder and Developer, its proprietor/guarantor, Mr. Siddhartha Banerjee and guarantors Ms. Sanchita Mukherjee, Ms. Juthika Chatterjee, Mr. Chanchal Ganguly, Ms. Rina Bhaduri, Ms. Shukla Hom Chowdhury & Mr. Rajib Ganguly, calling upon for your submission against evidence of default observed, within 21 days of its receipt.

In accordance with the principles of natural justice, the SCN was issued vide letter dated 13.10.2022 by **SAM Branch Kolkata**. The SCN was delivered to them on 17.10.2022 & 19.10.2022. A reply was received from the borrower firm & its **Proprietor / Guarantor; Mr. Siddhartha Banerjee** vide letter dated 30.11.2022 in response to the SCN.

Wilful Defaulter Identification Committee (WDIC) Meeting held on 22.12.2025:

WDIC in its meeting held on 22.12.2025, recorded the fact that a reply was received from the borrower firm & its **Proprietor / Guarantor; Mr. Siddhartha Banerjee** vide letter dated 30.11.2022 in response to the SCN. The committee observed that borrower has denied that they are wilful defaulters, as they have closed their loan obligation of Maya Apartment sanctioned by the Bank. However, borrower has not submitted any charge specific reply. Since the reply submitted by the borrower firm/proprietor was not specific to the charges levelled against them, the committee recommended to make a proposal to WDRC for classifying the Borrower Firm, **M/s. Brilliant Builder and Developer, its Proprietor / Guarantor, Mr. Siddhartha Banerjee and Guarantors Mrs. Sanchita Mukherjee, Mrs. Juthika Chatterjee, Mr. Chanchal Ganguly, Mrs. Rina Bhaduri, Mrs. Shukla Hom Chowdhury & Mr. Rajib Ganguly**, as wilful defaulters, in terms of RBI Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters dated 30.07.2024 (Now RBI Master Direction 166 dated 28.11.2025), under the clause – Capacity to pay but unwilling to repay and Siphoning of funds and to communicate the order of WDIC through **Branch Manager, SAM Branch Kolkata** to the borrower firm and its proprietor/guarantors, seeking their representation / request for Personal Hearing against the order, if any, within 15 days and placing the same before Review Committee for passing a reasoned order.

Communication regarding proposal for classification as Wilful Defaulter : A communication dated 13.01.2026, regarding proposal being made to WDRC for classifying the borrower firm and its proprietor / guarantors, as wilful defaulters along with reasons thereof, was communicated to them, with an opportunity to make representation / submission to WDRC within 15 days of its receipt. They were also advised to seek for a personal hearing, if they so desire. The WDIC order was delivered to 5 of them on 17.01.2026, whereas, it was not delivered to other 3 noticee. Hence, the same was published in two newspapers on 29.01.2026 viz The Echo of India (English) & Arthik Lipi (Bangla). A reply was received from one of the Guarantors Mrs. Shukla Hom Chowdhury on 06.02.2026 and there was no request for personal hearing.

Wilful Defaulter Review Committee held on 30.03.2026

Constitution of Wilful Defaulter Review Committee is as under :

1. Executive Director 2. Chief General Manager (Recovery) 3. General Manager (Large Corporate Credit)

Order passed by Wilful Defaulter Review Committee : The committee analyzed the reply dated 06.02.2026 along with the following documents supporting /evidencing act of wilful default :

1. Net worth certificates as on 15.01.2018	**2. Stock Statement for the May 2021**
3. Sanction letter dated 10.08.2016, 25.10.2017 & 08.05.2018	**4. Account statement for the relevant period**
5. Unit visit report dated 23.08.2022	**6. Show Cause Notice dated 13.10.2022**
7. WDIC order dated 13.01.2026	**8. Reply dated 06.02.2026**

During deliberation on the agenda, WDRC observed that one of the guarantors, Ms Shukla Hom Chowdhury, submitted that she was never part of the loan and she has not signed any documents and requested for forensic examination. However, SAM Branch Kolkata confirmed that her signature is available on all the relevant documents executed by her to the Bank. Therefore, the reply submitted by the guarantor is not tenable and not acceptable.

On perusal of the documents, this committee has observed that the combined net worth as on 15.01.2018 respectively was Rs.3.74 crore. Hence, it is apparent that despite having capacity to repay the Bank dues, they have wilfully not honoured the repayment obligations to the Bank.

Further, this committee has also observed that as per stock statement submitted by the borrower for Month of May 2021, the value of stock was Rs.0.33 crore. During unit visit by branch official on 23.08.2022, the unit was found closed. The borrower was serving only interest in the CC account and mostly no business transactions were routed through the CC account. Thus, it is inferred that the borrower has disposed off the stock and siphoned off the funds without repaying the bank dues.

Further, the committee has also observed that the Bank has sanctioned Term Loan – II & III of Rs.1.50 crore (Rs.0.75 crore + Rs.0.75 crore) for construction of two G+4 residential building along with car parking space in the style of "Krishna Apartment" & "Charu Apartment". During visit by branch official on 23.08.2022, it was observed that all flats of "Krishna Apartment" & "Charu Apartment" have been sold as gathered on enquiry from local residents and sale proceeds have not been deposited in the loan account. Thus, it is inferred that the borrower has disposed of the flats constructed and siphoned off the funds without repaying the bank dues.

After due consideration, Wilful Defaulter Review Committee, concurring with the recommendation of WDIC, unanimously, declared the borrower firm, M/s Brilliant Builder & Developer and its proprietor/guarantor, Mr. Siddhartha Banerjee & guarantors Ms. Sanchita Mukherjee, Ms. Juthika Chatterjee, Mr. Chanchal Ganguly, Ms. Rina Bhaduri, Ms. Shukla Hom Chowdhury and Mr. Rajib Ganguly, as wilful defaulters, under the clause - Capacity to pay but unwilling to repay and siphoning of funds, in terms of RBI Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters dated 30.07.2024 (Now RBI Master Direction 166 dated 28.11.2025).

In view of the above, we hereby inform you that Wilful Defaulter Review Committee classified you as "Wilful Defaulter".

As such, the Bank will proceed further to inform your details to RBI/ CIC within 7 days of the following month and photograph will be published in the leading newspaper as per RBI guidelines.

Yours faithfully,
Branch Manager
On behalf of Wilful Defaulter Review Committee

The Kolkata Gazette

सत्यमेव जयते
Extraordinary
Published by Authority

[Jyaistha 18] **Monday, June 8, 2026** **[Saka 1948]**

PART I-Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Office of the Collector, South 24-Parganas
Land Acquisition Department
New Treasury Building, (5th Floor), Alipore, Kolkata - 700 027
Notification in terms of section 11 (1) of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

Memo No. LA-30/1/2026-27/667/2026 **Dated: 01.06.2026**

AND WHEREAS, a Writ Petition, being, W.P. No. 3457 of 2019 was filed by Gopal Jhunjhunwala & ors. seeking mandamus upon the respondent authorities to comply with an order dated 16th July, 2018 passed by a Co-ordinate Bench of this court in WP No. 6330 (W) of 2018 (Gopal Jhunjhunwala) & ors. Vs State of West Bengal.

AND WHEREAS Hon'ble High Court vide Judgment dated 11.09.2025 in W.P. 3457 of 2019 has ordered KMDA to conduct joint survey in presence of the petitioner in respect of plot in question measuring such area and to make a fresh proposal for requisition of the land to the Government and on receiving such proposal the concern State Authority to initiate proceeding under The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and conclude the proceeding within a period of three months from the date of receiving such proposal.

AND WHEREAS a joint survey was conducted by the KMDA on 11.11.2025 in presence of official of Land Acquisition Department, South-24-Parganas and person present on behalf of petitioner at the site C.S. plot No. 236 of Mouja-Selimpur, J.L. No. 27, P.S. Jadavpur, District-South-24-Parganas and it was revealed from the said survey report that actually 0.12 acres of land out of 0.41 acres of the said C.S. plot has been utilized by KMDA for construction of existing Jibananda Setu.

AND WHEREAS in accordance with said joint survey report the requiring body, KMDA has sent the proposal of acquisition vide No. 248/KMDA/EU/LATT-23/43 dated 06.01.2026.

Therefore, it is notified that for the said purpose of construction of Jibananda Setu more or less 0.12 acres of land of plot no C.S. 236 of mouja Kasba JL No 13 Police Station Kasba District South 24 Parganas is under acquisition.

This notification is made under the provision of the section 11 (1) of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector LA Department during working hours. The Government authorises concerned officials of the Departments mentioned to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all other acts acquired for the proper execution of their work as provided and specified in section 12 of the Act.

Under sub-section (4) of section 11 of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase etc. Or create any encumbrances on such land from the date of publication of this notification without prior approval of the Collector.

Objections to the acquisition, if any, may be filed by the person interested within 30 days from the date of publication of notification as provided under section 15 of the Act before Collector.

Sd/-Abhishek Kumar Tiwary
District Magistrate & Collector
South 24 Parganas

Memo No.: 3037(2)/DICO/S-24 Pgs
Dt.: 28.07.2026

ब्रीफ न्यूज

मुख्यमंत्री से मिले प्रकाश पाल, संगठन विस्तार और जनकल्याण योजनाओं पर हुई चर्चा

कानपुर, 28 जुलाई (वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश में पिछड़ा मोर्चा द्वारा संचालित संगठनात्मक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस दौरान पिछड़ा समाज के सशक्तिकरण, संगठन विस्तार तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी चर्चा हुई। भाजपा की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रकाश पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रतीकात्मक रूप से एक क्रिकेट बैट भेंट करते हुए कहा कि वह विपक्ष के खिलाफ इसी प्रकार ''जोरदार बल्लेबाजी'' करते रहें। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछड़ा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता तथा पिछड़ा समाज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ खड़ा है।

श्री पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला है तथा समाज के सभी वर्गों, विशेषकर पिछड़े समाज, को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि भाजपा पिछड़ा मोर्चा प्रदेश के प्रत्येक जिले, मंडल और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। मोर्चा के कार्यकर्ता विभिन्न वर्गों के बीच संवाद स्थापित कर केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछड़ा समाज को सम्मान, सुरक्षा और विकास के नए अवसर मिले हैं, जिससे समाज में भाजपा के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में बूथ स्तर तक जनजागरण और सामाजिक संपर्क अभियानों को और गति दी जाएगी। विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ा मोर्चा के कार्यों की सराहना करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य करने का आह्वान किया।

ऋषिकेश में चरस एवं स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

ऋषिकेश, 28 जुलाई, (वार्ता)। उत्तराखंड के देहरादून जनपद को नशामुक्त बनाने के अभियान के तहत मंगलवार को ऋषिकेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को एक किलो 202 ग्राम अवैध चरस और 7.01 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली है। पुलिस के अनुसार, कृष्णा नगर लेबर कॉलोनी तिराहा क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की जांच के दौरान एक युवक पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। उसके बैग से प्लास्टिक की पन्नी में रखी 1.202 किलो चरस तथा एक अलग पन्नी में 7.01 ग्राम स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान परमजीत, पुत्र पदमनाथ, निवासी काले की ढाल, ऋषिकेश के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह भानियावाला निवासी पंचम नाथ नामक व्यक्ति से चरस और स्मैक लाकर ऋषिकेश क्षेत्र में नशे के आदी लोगों को बेचता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि अधिक मुनाफा कमाने के लिए वह चरस में धूपबत्ती का पाउडर मिलाकर भी बेचता था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। ऋषिकेश पुलिस ने कहा है कि जनपद में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

भाजपा सरकार शिक्षा, युवाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला कर रही

आजमगढ़, 28 जुलाई (वार्ता)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को आजमगढ़ दौरे के दौरान निजामाबाद के दिवंगत विधायक आलमबदी आज़मी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने नई शिक्षा नीति, छात्र आंदोलन, बुलडोजर कार्रवाई तथा विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर भाजपा सरकार की आलोचना की। मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है और इससे शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का काम हुआ है। हाल के छात्र आंदोलनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों ने सरकार के अहंकार को चुनौती दी है और वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर संभावित बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाया गया तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। उन्होंने दावा किया कि छात्र भी ऐसी कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेंगे और पार्टी उनके साथ मिलकर विरोध दर्ज कराएगी। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि युवाओं पर गंभीर धाराएं लगाकर जेल भेजना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्षों में बुलडोजर की राजनीति की है। साथ ही कहा कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ऐसी कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी के टूटने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले से अधिक मजबूत है। उन्होंने राजभर पर कटाक्ष करते हुए उनकी पार्टी की राजनीतिक स्थिति पर भी सवाल उठाए तथा उनके एक विधायक पर पेपर लीक मामले में लगे आरोपों का उल्लेख किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

मकान विवाद में चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

इटावा, 28 जुलाई (वार्ता)। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के चिकनी गांव में मकान निर्माण के विवाद को लेकर एक युवक ने अपने चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी के दौरान मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैरों में गोली लगी है और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, मृतक विनय कुमार निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता था। मकान निर्माण को लेकर उसका अपने चचेरे भाई रामकुमार उर्फ गुड्डू से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर विनय कुमार की हत्या कर दी।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) शीश चंद्र ने बताया कि घटना के बाद फरार हो रहे आरोपी की घेराबंदी की गई। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। घटना के बाद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पिछले लगभग 15 दिनों से विनय कुमार आरोपी द्वारा दी जा रही जान से मारने की धमकियों की शिकायत स्थानीय पुलिस से कर रहे थे, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों ने इसी लापरवाही को हत्या का कारण बताया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी की और कुछ समय तक शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजने दिया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया।

हत्या के आरोप में महिला समेत दो गिरफ्तार

सीतापुर 28 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के थाना सधना अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने मंगलवार को एक महिला एवं उसके भाई को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया की 26 जुलाई को ग्राम पट्टी नवादा में एक अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा शव मिला था।

एसडीआरएफ की उत्तराखण्ड, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की टीमों का संयुक्त मॉक अभ्यास आयोजित

देहरादून 28 जुलाई (वार्ता)। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर उत्तराखंड के देहरादून जिला अन्तर्गत मुंडिया गाँव में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की अंतरराज्यीय संयुक्त आपदा प्रबंधन संयुक्त आपदा प्रतिक्रिया (मॉक) अभ्यास किया गया। मंगलवार को हुए इस मॉक अभ्यास में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एसडीआरएफ के टीमों ने आपदा की स्थिति में अंतरराज्यीय समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता तथा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस दौरान टेबल टॉक मीटिंग में सेनानायक एसडीआरएफ उत्तराखण्ड अर्पण यदुवंशी ने कहा कि किसी भी बड़ी आपदा के दौरान विभिन्न राज्यों की आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों के मध्य प्रभावी समन्वय, त्वरित निर्णय क्षमता तथा एकीकृत कार्यप्रणाली ही सफल राहत एवं बचाव कार्यों की आधारशिला होती है। इस प्रकार के संयुक्त अभ्यास विभिन्न एजेंसियों को एक-दूसरे की कार्यप्रणाली, संसाधनों एवं क्षमता को समझने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वास्तविक आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य अधिक प्रभावी एवं समन्वित रूप से संपादित किए जा सकते हैं। उन्होंने सभी टीमों को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), आपदा प्रबंधन प्रणाली तथा सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करते हुए अभ्यास सम्पन्न करने के निर्देश दिए। अभ्यास के अंतर्गत घटना स्थल के समीप एक सुव्यवस्थित घटना कमांड पोस्ट स्थापित किया गया, जहाँ से संपूर्ण बचाव अभियान का संचालन एवं समन्वय किया गया। इसके अतिरिक्त घायलों के प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सकीय सहायता को मेडिकल पोस्ट भी स्थापित की गई, जिससे वास्तविक आपदा जैसी परिस्थितियों में विभिन्न इकाइयों के मध्य समन्वित कार्यप्रणाली का व्यावहारिक परीक्षण किया जा सके। घटना की सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय, जॉलीग्रांट में स्थापित स्टेजिंग एरिया से तीनों राज्यों की टीमें त्वरित रूप से घटना स्थल के लिए रवाना हुईं। निर्धारित समय में घटनास्थल पर पहुँचकर टीमों ने उत्कृष्ट समन्वय, प्रभावी संचार व्यवस्था तथा स्पष्ट कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम का प्रदर्शन करते हुए संयुक्त राहत एवं बचाव अभियान संचालित किया। संयुक्त अभ्यास में उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ की ओर से सहायक कमांडेंट सोमनाथ यादव एवं निरीक्षक बृजेश सिंह ने अपनी टीम के साथ सक्रिय सहभागिता की, जबकि हरियाणा की टीम का नेतृत्व टीम इंचार्ज निरीक्षक शीशराम द्वारा किया गया। तीनों राज्यों की टीमों ने पूरे अभ्यास के दौरान आपसी समन्वय, तकनीकी दक्षता एवं पेशेवर कार्यप्रणाली का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संयुक्त राहत एवं बचाव अभियान को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया।मॉक अभ्यास के दौरान रस्सी बचाव, ध्वस्त संरचना में खोज एवं बचाव (सीएसएसआर), खोज एवं बचाव अभियान, नदी पार करने की तकनीक, पीड़ितों की खोज एवं सुरक्षित निकासी, घायलों की सुरक्षित निकासी, चिकित्सीय आपात प्रतिक्रिया, संचार प्रबंधन, घटनास्थल प्रबंधन सहित विभिन्न तकनीकी बचाव प्रक्रियाओं का सफल अभ्यास किया गया।

डिजिटल युवा महोत्सव के जरिए युवाओं को मिलेगा प्रतिभा प्रदर्शन का मंच

चम्पावत, 28 जुलाई (वार्ता)। उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार युवा महोत्सव-2026-27 के अंतर्गत चम्पावत जिला में डिजिटल युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के माध्यम से 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को अपनी प्रतिभा तथा डिजिटल रचनात्मकता का प्रदर्शन करने के लिए मंच उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मंगलवार को बताया कि महोत्सव का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अधिक से अधिक युवा प्रतिभाग कर सकें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप यह आयोजन युवाओं की प्रतिभा को पहचान दिलाने के साथ ही उन्हें डिजिटल मंच उपलब्ध कराने तथा उत्तराखंड की सांस्कृतिक एवं पर्यटन पहचान को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा व्यक्तिगत एवं दल श्रेणी में प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। चार सप्ताह तक आयोजित होने वाले महोत्सव में स्वास्थ्य एवं व्यायाम प्रतियोगिता के तहत सूर्य नमस्कार, दंड-बैठक, रस्सी कूदना, शरीर संतुलन और अंतिम स्वास्थ्य चुनौती जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। इसी तरह सांस्कृतिक एवं रचनात्मक श्रेणी में 'मेरा जनपद-मेरी पहचान', 'मेरा उत्तराखंड-मेरा गौरव', युवा छायाचित्रण प्रतियोगिता तथा 'एक मिनट-एक हुनर' जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतिभागियों को अपनी मौलिक वीडियो, लघु वीडियो अथवा छायाचित्र निर्धारित समय सीमा के भीतर 'फिट उत्तराखंड' मोबाइल ऐप पर अपलोड करने होंगे। सभी प्रविष्टियों का मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी के अनुसार जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 5,000, 3,000 और 2,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। जिला स्तर पर चयनित उत्कृष्ट प्रतिभागियों को राज्य युवा महोत्सव के दौरान राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जिले के युवाओं से डिजिटल युवा महोत्सव में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा, स्वास्थ्य, संस्कृति और स्थानीय पहचान को डिजिटल माध्यम से देशभर तक पहुंचाने का सुनहरा अवसर है।

रुद्रपुर गैंगरेप के दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस अभिरक्षा से भागने की कोशिश नाकाम

रुद्रपुर, 28 जुलाई (वार्ता)। उत्तराखंड के रुद्रपुर गैंगरेप प्रकरण में गिरफ्तार दो आरोपियों ने मंगलवार को पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया। दोनों को पुलिस ने दबोच लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऊधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय गणपति के अनुसार रुद्रपुर गैंगरेप प्रकरण में फरार चल रहे तीनों आरोपियों को पुलिस ने सोमवार देर रात को बगवाड़ा चौकी क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार लिया था। बताया जा रहा है कि पुलिस को बीती रात को आरोपियों के बगवाड़ा क्षेत्र में छिपे होने की जानकारी हाथ लगी थी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। इसी दौरान तीनों ने मोटरसाइकिल से भागने के प्रयास में पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलायी जिसमें एक बदमाश गुरबाज उर्फ मानु निवासी ग्राम कलकत्ती, थाना गदरपुर, ऊधमसिंह नगर घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री गणपति के अनुसार अन्य दो आरोपियों जोगा सिंह और रविंदर (19) निवासीगण ग्राम अज्जूवाला, थाना मिलक खानम, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश को पुलिस आज साक्ष्य संकलन के लिए घटनास्थल पर ले जा रही थी। आरोप है कि वापस लौटते वक्त पुलिस वाहन में कुछ दिक्कत आ गई थी। इसी बीच दूसरे वाहन की व्यवस्था की गई। दूसरे वाहन में शिफ्ट करते वक्त दोनों आरोपियों ने भागने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ लिया। इसी बीच भीड़ भी भड़क गई। पुलिस ने बमुश्किल दोनों आरोपियों को बचाया और सुरक्षित कोतवाली रुद्रपुर लाया गया तथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

कांवड़ मेला-2026: हरिद्वार पुलिस ने जारी किया विस्तृत ट्रैफिक प्लान, यात्रा से पहले रूट डायवर्जन देखने की अपील

हरिद्वार, 28 जुलाई (वार्ता)। उत्तराखंड में श्रावण मास और कांवड़ मेला-2026 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुरक्षित एवं सुचारु बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने मंगलवार को विस्तृत यातायात योजना जारी कर दी है। पुलिस ने आमजन, श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से अपील की है कि मेला अवधि में घर से निकलने या हरिद्वार की यात्रा करने से पहले निर्धारित ट्रैफिक प्लान का अवश्य अध्ययन करें। इस वर्ष श्रावण मास मंगलवार (28 जुलाई) से प्रारंभ हो गया है। श्रावण के चार सोमवार क्रमशः तीन, 10, 17 और 24 अगस्त को पड़ेंगे, जबकि 11 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि का मुख्य पर्व मनाया जाएगा। इन तिथियों को देखते हुए जिले में चरणबद्ध तरीके से रूट डायवर्जन एवं पार्किंग व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस के अनुसार सामान्य दिनों में हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए पूर्व निर्धारित मार्ग यथावत रहेंगे, जबकि कांवड़ वाहनों के लिए अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। सहारनपुर, यमुनानगर, दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले कांवड़ वाहनों को मंडावर, सालियर चौक, अब्दुल कलाम चौक, नगला इमरती और लक्सर होते हुए बैरागी कैंप पार्किंग तक भेजा जाएगा। वहीं मुरादाबाद, बिजनौर और नजीबाबाद की ओर से आने वाले कांवड़ वाहनों को गौरीशंकर एवं नीलधारा पार्किंग तथा देहरादून-ऋषिकेश से आने वाले वाहनों को लालजीवाला एवं चमगादड़ टापू पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे कांवड़ वाहनों के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से आने-जाने वाली रोडवेज एवं अन्य बसों का संचालन इसी एक्सप्रेसवे के माध्यम से किया जाएगा। यातायात योजना के तहत रोडवेज एवं निजी बसों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। देहरादून और ऋषिकेश से आने वाली बसों को मोतीचूर पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाली बसों को बैरागी कैंप सहित अन्य निर्धारित पार्किंग स्थलों तक भेजा जाएगा। कांवड़ मेले के दौरान भारी वाहनों पर भी विशेष प्रतिबंध लागू रहेगा। 29 एवं 30 जुलाई से चार अगस्त तक भारी वाहनों का संचालन केवल रात्रि 12 बजे से प्रातः चार बजे तक किया जाएगा, जबकि पांच एवं छह अगस्त से 11 अगस्त तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहनों को मंडावर, चिड़ियापुर और कांगड़ी पार्किंग में रोका जाएगा। चारधाम यात्रा को प्रभावित न होने देने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले वाहनों को मेरठ-गढ़मुक्तेश्वर-नजीबाबाद-कोटद्वार-पौड़ी-श्रीनगर मार्ग अथवा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उपयोग करने की सलाह दी गई है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले वाहनों को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से संचालित किया जाएगा। पैदल कांवड़ियों के लिए भी अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं, जिससे वाहनों और श्रद्धालुओं की आवाजाही अलग-अलग संचालित हो सके। हर की पैड़ी से दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, नजीबाबाद तथा ऋषिकेश-देहरादून की ओर जाने वाले कांवड़ियों के लिए अलग-अलग पैदल मार्ग तय किए गए हैं। हरिद्वार पुलिस ने श्रद्धालुओं और आम नागरिकों से अपील की है कि वे मेला अवधि में निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करें, पुलिस का सहयोग करें तथा यात्रा शुरू करने से पहले नवीनतम ट्रैफिक प्लान की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि कांवड़ मेला-2026 शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके।`हरादून और ऋषिकेश से आने वाली बसों को मोतीचूर पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाली बसों को बैरागी कैंप सहित अन्य निर्धारित पार्किंग स्थलों तक भेजा जाएगा। कांवड़ मेले के दौरान भारी वाहनों पर भी विशेष प्रतिबंध लागू रहेगा।

प्रेम प्रसंग, ब्लैकमेल एवं विवाद में युवती हत्या, गिरफ्तार

हरिद्वार, 28 जुलाई (वार्ता)। उत्तराखंड के हरिद्वार के बहादराबाद थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र और गहन पूछताछ के आधार पर ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाई। पुलिस जांच में हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग, ब्लैकमेल और आपसी विवाद की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार 24 जुलाई को ग्राम अलीपुर निवासी मोमिन ने कोतवाली बहादराबाद में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री शहनुमा की हत्या गांव के ही नावेद पुत्र रियासत और उसके परिजनों ने कर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। घटना के बाद मुख्य आरोपी फरार हो गया था तथा मृतका का शव भी बरामद नहीं हुआ था, जिससे मामला पूरी तरह ब्लाइंड बन गया। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर की निगरानी में प्रभारी निरीक्षक बहादराबाद के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी और मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखा। इसी दौरान 27 जुलाई को सूचना मिली कि आरोपी मंगलौर क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर गांव में रिश्तेदारों के यहां छिपा हुआ है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तालाब के समीप से आरोपी नावेद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका शहनुमा के साथ प्रेम संबंध था लेकिन समय के साथ दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे। आरोपी के अनुसार एक पारिवारिक शादी में युवती के डीजे पर डांस करने को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। इसके बाद मृतका द्वारा उसे विभिन्न मामलों में फंसाने और बदनाम करने की धमकी दिए जाने से वह मानसिक रूप से परेशान था। इसी कारण उसने हत्या की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार आरोपी युवती को कलियर ले गया, जहां दोनों एक होटल में रुके। अगले दिन तड़के वह उसे सुनसान स्थान पर ले गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को गंगनहर में फेंक दिया और गांव लौटकर सामान्य दिनचर्या में लग गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन और आधार कार्ड भी बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा अन्य पहलुओं की भी गहन जांच जारी है।

रुद्रपुर गैंगरेप के तीन आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

रुद्रपुर, 28 जुलाई (वार्ता)। उत्तराखंड के रुद्रपुर में हुए गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने सोमवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय गणपति के अनुसार कल देर रात बगवाड़ा चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने बाइक सवार तीन संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर जब घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। श्री गणपति के अनुसार आरोपियों की पहचान गुरबाज उर्फ मानु (23) निवासी ग्राम कलकत्ती, थाना गदरपुर, ऊधमसिंह नगर, जोगा सिंह निवासी ग्राम अज्जूवाला, थाना मिलक खानम, जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) और रविंदर (19) निवासी ग्राम अज्जूवाला, थाना मिलक खानम, जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। गुरबाज मुठभेड़ में घायल हुआ है। उसे पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और घटना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए हैं। बरामदगी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात को सिडकुल में एक कंपनी में काम करने वाली एक युवती विगत शनिवार रात को अपनी सहेली और दो युवकों के साथ भूरारानी रोड पर गयी थी। इसी दौरान बाइक सवार तीनों युवक चारों को उनकी बाइक से गदरपुर की ओर ले गए। रास्ते में एक युवक और युवती आरोपियों के चंगुल से जान बचाने में सफल रहे। दूसरे युवक और युवती को आरोपी अपने साथ ले गए और गदरपुर हाईवे पर आरोपियों ने युवक को उतार दिया और युवती के साथ सामुहिक दुष्कर्म किया।

बिना भूमि अधिग्रहण पुल निर्माण के मामले में हाईकोर्ट ने डीएम हरिद्वार को दिए निर्देश

नैनीताल, 28 जुलाई (वार्ता)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिले की तहसील रुड़की के ग्राम मलकपुर और लतीफपुर में भूमि का अधिग्रहण किये बिना पुल निर्माण के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं के 31 मई 2026 को दिए गए प्रत्यावेदन पर नौ माह के अंदर निर्णय लें। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्यावेदन पर निर्णय लेते समय संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाए। मामले के अनुसार ग्राम मलकपुर और लतीफपुर निवासी संजीव कुमार एवं अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार द्वारा उनकी भूमि का अधिग्रहण किए बिना तथा मुआवजा दिए बिना उस पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उक्त भूमि जलमग्न क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में भी इसी क्षेत्र में एक अन्य पुल का निर्माण किया गया था और उस समय भूमि के लिए उन्हें मुआवजा दिया गया था लेकिन वर्तमान पुल के निर्माण के लिए न तो उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया और न ही उन्हें मुआवजा दिया गया। इस संबंध में उन्होंने प्रशासन और राज्य सरकार के समक्ष प्रत्यावेदन भी दिया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वर्तमान पुल का निर्माण दूसरी जगह किया जा रहा है, इसलिए भूमि अधिग्रहण करने और मुआवजा देने की जरूरत नहीं है।

खाद्य पदार्थ के मानक फेल, 4 कारोबारियों पर 11.07 लाख रुपये का जुर्माना

अल्मोड़ा, 28 जुलाई (वार्ता)। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन महकमे की ओर से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर न्यायालय ने चार खाद्य कारोबारियों एवं संबंधित कंपनियों पर कुल 11 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार द्वारा निरीक्षण के दौरान देव भूमि प्रीमियम बिस्कुट, रिफाइंड ऑयल और गुनगुन साल्ट सहित अन्य खाद्य पदार्थ के नमूने लिए गए थे। उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर स्थित राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया। बताया जा रहा है कि नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये। इसके बाद के बाद न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट युक्ता मिश्रा के न्यायालय में वाद दायर किया गया। न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्माता कंपनी मै0 देव भूमि मल्टी प्रोडक्शन, कपिल काम्प्लेक्स, मुखानी, हल्द्वानी पर 2 लाख रुपये, रिफाइंड ऑयल के विक्रेता अजीत पवार, ऑफिसर कॉलोनी, अल्मोड़ा पर 1 लाख रुपये, निर्माता कंपनी मैसर्स अदानी विलमर लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर 4 लाख रुपये तथा गुनग